



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246859
CG-DL-E-30062023-246859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2702]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2023/आषाढ़ 7, 1945

No. 2702]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2023/ASHADHA 7, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2023

का.आ. 2825(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो के परामर्श से, निम्नलिखित योजना विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—(1) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसी" से कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के अधीन सत्यापित क्रिया कलापों को करने के लिए ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त एक एजेंसी अभिप्रेत है;

(ग) "कार्बन क्रेडिट" से एक ऐसा मूल्य अभिप्रेत है जो प्राप्त ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी या हटाने या बचने के लिए सौंपा गया है और एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) के बराबर है;

(घ) "कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (घक) में है;

(ङ) "कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (घख) में है;

(च) "आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 36) की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(छ) "अनुपालन तंत्र" से इस योजना के अधीन एक तंत्र अभिप्रेत है जहां बाध्यकारी संस्थाएं केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मानदंडों का पालन करेंगी;

(ज) "ग्रीनहाउस गैस" से वायुमंडल के वे गैसीय घटक, प्राकृतिक और मानवजनित दोनों, जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करते हैं अभिप्रेत है और व्यंजक ग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC), पफ्लोरोकार्बन (PFC), और सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆) शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(झ) "भारतीय कार्बन बाजार अवसंरचना" से कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या हटाने या बचने के उद्देश्य से स्थापित एक राष्ट्रीय अवसंरचना अभिप्रेत है;

(ञ) "मेटा-रजिस्ट्री" से राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस रजिस्ट्री अभिप्रेत है जो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करेगी, अर्थात्:

(i) बाजार आधारित तंत्र और राष्ट्रीय सूची प्रबंधन प्रणाली सहित डेटा प्रबंधन और

(ii) किसी भी बाजार-आधारित तंत्र की किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के साथ संबंध स्थापित करने की सुविधाओं के साथ संव्यवहार;

(ट) "गैर-बाध्यकारी इकाई" से रजिस्ट्रीकृत इकाई जो स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र खरीद सकती हैं अभिप्रेत है;

(ठ) "बाध्यकारी इकाई" से 'रजिस्ट्रीकृत इकाई' जो अनुपालन तंत्र के अधीन अधिसूचित हैं अभिप्रेत है;

(ड) "पावर एक्सचेंज" से भारत के राजपत्र में तारीख 15 फरवरी 2021 को प्रकाशित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2021 के विनियम 2 के खंड के उप-खंड (कध) के अधीन परिभाषित एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है;

(ढ) "रजिस्ट्रीकृत इकाई" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (थक) में है;

(ण) "रजिस्ट्री" से कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के संबंध में इस ढांचे में परिभाषित ऐसे कार्यों को करने के लिए नाम निर्दिष्ट एजेंसी अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 29) और विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियम में हैं।

3. भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति – (1) केंद्रीय सरकार भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन करेगी।

(2) भारतीय कार्बन बाजार का शासन और इसके कामकाज का प्रत्यक्ष निरीक्षण भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति में निहित होगा।

(3) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -

(क) सचिव, विद्युत मंत्रालय - पदेन - अध्यक्ष;

(ख) सचिव, - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पदेन सह-अध्यक्ष;

(ग) वित्त मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्चतर अधिकारी – पदेन सदस्य;

(घ) नीति आयोग से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्चतर अधिकारी - पदेन सदस्य;

(ङ.) विद्युत मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्चतर अधिकारी - पदेन सदस्य;

(च) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्चतर अधिकारी - पदेन सदस्य;

- (छ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्चतर अधिकारी - पदेन सदस्य;
- (ज) इस्पात मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्चतर अधिकारी - पदेन सदस्य;
- (झ) कोयला मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्चतर अधिकारी - पदेन सदस्य;
- (ञ) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्चतर अधिकारी - पदेन सदस्य;
- (ट) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्चतर अधिकारी - पदेन सदस्य;
- (ठ) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्चतर अधिकारी - पदेन सदस्य;
- (ड) दो सदस्य - केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्बंधित राज्य के पर्यावरण विभाग से प्रमुख सचिव - पदेन सदस्य;
- (ढ) दो विशेषज्ञ सदस्य - राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा सहयोजित, जिनके पास उत्सर्जन, कार्बन व्यापार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्रों का ज्ञान है - सदस्य;
- (ण) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य;
- (त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड - सदस्य;
- (थ) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन से अनधिक कोई अन्य सदस्य - सदस्य;
- (द) महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य- सचिव;

4. राष्ट्रीय संचालन समिति के कार्य: - (1) राष्ट्रीय संचालन समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् - :

- (क) भारतीय कार्बन बाजार को संस्थागत बनाने के लिए प्रक्रियाओं के निर्माण और अंतिम रूप देने के लिए ब्यूरो को सिफारिश करना;
 - (ख) भारतीय कार्बन बाजार के कार्यों के लिए नियमों और विनियमों के निर्माण और अंतिम रूप देने के लिए ब्यूरो को सिफारिश करना;
 - (ग) बाध्यकारी इकाईयों के लिए विशिष्ट ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन लक्ष्योंको तैयार करने के लिए की ब्यूरो को सिफारिश करना;
 - (घ) भारत के बाहर कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने और अंतिम रूप देने के लिए ब्यूरो को सिफारिश करना;
 - (ङ) कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश करना;
 - (च) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र की क्रेडिट अवधि या नवीकरण या समाप्ति के लिए प्रक्रिया या शर्तों के विकास के लिए ब्यूरो को सिफारिश करना;
 - (छ) भारतीय कार्बन बाजार के कार्यों का पर्यवेक्षण करना;
 - (ज) भारतीय कार्बन बाजार के संबंध में आवश्यक किसी भी समिति या कार्यदल का गठन करने की ब्यूरो को सिफारिश करना;
 - (झ) केंद्रीय सरकार द्वारा उसको सौंपे गए अन्य कार्य;
- (2) अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष की तिमाही में कम से कम एक बार बैठक बुलाएगा।

5. प्रशासक के रूप में ब्यूरो और उसके कार्य - (1) ब्यूरो भारतीय कार्बन बाजार का प्रशासक होगा।

(2) प्रशासक के रूप में, ब्यूरो निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्: -

- (क) क्षेत्रों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की क्षमता और विद्युत मंत्रालय को भारतीय कार्बन बाजार में शामिल करने की सिफारिश करना;
- (ख) अनुपालन तंत्र के अधीन संस्थाओं के लिए प्रक्षेपवक्र और लक्ष्य विकसित करना;
- (ग) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिश और तत्पश्चात केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के आधार पर कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करना;
- (घ) कार्बन क्रेडिट के लिए बाजार स्थिरता तंत्र विकसित करना;
- (ङ) मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन अभिकरण के प्रत्यायन और कृत्यों के लिए प्रक्रिया विकसित करना;
- (च) मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन अभिकरण के लिए अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार अभिकरणों को मान्यता देना;
- (छ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लागत और व्यय को पूरा करने के उद्देश्यों से केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से रजिस्ट्रीकृत इकाईयों द्वारा संदेय फीस और प्रभार को अवधारित करना;
- (ज) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की क्रेडिट अवधि या नवीनीकरण या समाप्ति के लिए प्रक्रिया या शर्तों को विकसित करना;
- (झ) भारतीय कार्बन बाजार के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए डेटा प्रेषण प्रारूप, प्रारूप विकसित करना;
- (ञ) हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियों संचालित करना;
- (ट) भारतीय कार्बन बाजार के लिए अपेक्षित उपयोगकर्ता मार्गदर्शन मंच सहित सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को विकसित करना और अनुरक्षण रखना;
- (ठ) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित डेटाबेस बनाए रखना;
- (ड) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार किसी समिति या कार्य समूह का गठन करना;
- (ण) केंद्रीय सरकार द्वारा उसको सौंपे गये अन्य कृत्य;

6. रजिस्ट्री और उसके कृत्य- (1) ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय कार्बन बाजार के लिए रजिस्ट्री होगी।

(2) रजिस्ट्री उस रीति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए, के अनुसार निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी: -

- (क) समय-समय पर ब्यूरो द्वारा जारी निदेशों का पालन करना;
- (ख) बाध्यकारी या गैर-बाध्यकारी इकाईयों का रजिस्ट्रीकरण करना;
- (ग) सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित डेटाबेस बनाए रखना;
- (घ) सभी प्रकार के संव्यहारों के अभिलेख रखना;
- (ङ) पावर एक्सचेंज और ब्यूरो के साथ संव्यहारों के अभिलेख साझा करना;
- (च) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पटल के विकास में सहायता करना;
- (छ) भारत के लिए मेटा-रजिस्ट्री के रूप में कार्य करना;
- (ज) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रियों के साथ संबंध स्थापित करना;
- (झ) ब्यूरो द्वारा उसको सौंपे गये कोई अन्य कृत्य।

7. भारतीय कार्बन बाजार के अधीन व्यापारिक क्रिया कलापों के लिए नियामक के रूप में आयोग- (1) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग भारतीय कार्बन बाजार के अधीन व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए नियामक होगा।

(2) भारतीय कार्बन बाजार के नियामक के रूप में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्: -

- (क) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार से संबंधित मामलों को विनियमित करना;
- (ख) विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों के हितों की रक्षा करना;
- (ग) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र व्यापार की आवृत्ति को विनियमित करना; और
- (घ) कपट या अविश्वास को रोकने के लिए बाजार की निगरानी का उपबंध करना और आवश्यक निवारक और सुधारात्मक कार्रवाई करना।

8. तकनीकी समिति और उसके कृत्य: - (1) ब्यूरो इस योजना के प्रयोजनों के लिए अनुपालन तंत्र के अधीन यथा अपेक्षित विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक या अधिक तकनीकी समितियों का गठन करेगा।

- (2) प्रत्येक तकनीकी समिति की अध्यक्षता एक सदस्य द्वारा की जाएगी जो एक विशेषज्ञ होगा और उसके पास इस क्षेत्र के संबंध में वह पात्रता और अनुभव होगा जो ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया जाए।
- (3) प्रत्येक तकनीकी समिति में ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिनकी ब्यूरो द्वारा अपेक्षा की जाए।
- (4) प्रत्येक तकनीकी समिति इस योजना के प्रयोजनों के लिए कृत्यों का निर्वहण करेगी।
- (5) तकनीकी समिति उसे सौंपे गए मामलों के संबंध में ब्यूरो को अपनी सिफारिशें देगी।

9. प्रत्यायित कार्बन सत्यापन अभिकरण- (1) ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिश के आधार पर मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी अभिकरण के प्रत्यायन के लिए पात्रता मानदंड सहित प्रक्रिया को अवधारित करेगा।

(2) प्रत्यायित कार्बन सत्यापन अभिकरण समय-समय पर ब्यूरो द्वारा यथा अवधारित इस योजना के प्रयोजनों के लिए कार्य करेगी।

10. कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों का व्यापार - (1) आयोग समय-समय पर पावर एक्सचेंजों को रजिस्ट्रीकृत करेगा और भारतीय कार्बन बाजार में कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र व्यापार को मंजूरी देगा;

- (2) पावर एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज में प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए अपने संबंधित उपनियमों और नियमों के लिए आयोग का अनुमोदन मांगेगा।
- (3) पावर एक्सचेंज आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के संबंध में कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

11. अनुपालन तंत्र- (1) अनुपालन तंत्र के अधीन कवर किए जाने वाले क्षेत्रों और बाध्यकारी इकाइयों का विनिश्चय विद्युत मंत्रालय द्वारा ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा;

- (2) ब्यूरो उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और उनके कार्यान्वयन की संभावित लागत सहित सभी सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समतुल्य उत्पाद की प्रति इकाई टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (टीसीओ₂ई) के निबंधनों के अनुसार लक्ष्यों की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त उप-पैरा (1) में यथा विनिश्चित क्षेत्रों या बाध्यकारी संस्थाओं के लिए अध्ययन करेगा;
- (3) विद्युत मंत्रालय, भारतीय कार्बन बाजार के लिए ब्यूरो और राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिशों पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात्, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों की अधिसूचना की सिफारिश करेगा;
- (4) ऐसे लक्ष्यों, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये जाएं, के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों की उत्सर्जन तीव्रता प्राप्त करने के लिए बाध्यकारी इकाइयां अपेक्षित होंगी;